प्रेस नोट- थाना मिर्जापुर
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 19.08.2026

थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष मिर्जापुर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम, चोरी-लूट-अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण व अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी के क्रम में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.08.2026 को वादिनी/पीडिता द्वारा दी गयी तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व शादी करने से मना कर देने के सम्बन्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0-177/2026, धारा 69 बीएनएस बनाम राजन ठाकुर पुत्र नीरू सिंह निवासी कटरी सतारा थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना म0उ0नि0 अजंली रानी द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुकदमे में नामित अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था । विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में पीडिता अनुसूचित जाति की होने तथा अभियुक्त सामान्य जाति का होने के कारण धारा 3(2)(V) SC/ST ACT की वृद्धि की गयी । प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । इसी क्रम में आज दिनांक 19.08.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा अपराध की रोकथाम हेतु गश्त पर मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजन ठाकुर पुत्र नीरू सिंह निवासी कटरी सतारा थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद उम्र 21 वर्ष, को जरियनपुर तिराह से करीब 100 मीटर आगे गंगा चौराहे की तरफ से समय करीब 11.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का विवरणः-

राजन ठाकुर पुत्र नीरू सिंह निवासी कटरी सतारा थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद उम्र 21 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0-177/2026 धारा 69 BNS व 3(2)(v) SC/ST ACT.बनाम राजन ठाकुर उपरोक्त ।

गिरफ्तारी का दिनाँक,समय व स्थान का विवरणः-

दिनांक-19.08.2026, समय करीब 11.45 बजे, जरियनपुर तिराह से करीब 100 मीटर आगे गंगा चौराहे की तरफ,

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
2. म0उ0नि0 अंजली रानी थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 बन्टी कुमार, थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
4. रि0आ0 नीटू थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर